राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–338 / 2018

नीरज कुमार मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर।
3. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 14.11.2022

उपस्थित

अपीलार्थी की ओर से : श्री गोविन्द शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी का अपील में अभिकथन है कि अपीलार्थी की सर्वप्रथम आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक 02.04.2012 (अनुलग्नक–1) के द्वारा की गयी थी। परिपत्र दिनांक 12.01.2017 (अनुलग्नक–2) के द्वारा सहायक निदेशक / वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी ग्रेड–द्वितीय के 1500 नये पद बनाये गये थे, जो शत–प्रतिशत आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की पदोन्नति से भरे जाने थे। उनका अभिकथन है कि नियमों में दिनांक 05.10.2017 में संशोधन किया गया था, जिसमें सहायक निदेशक / वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों के पद के लिये 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक होना माना गया। बाद में दिनांक 18.07.2017 के परिपत्र में यह प्रावधान भी रखा गया कि अनुभव में दो वर्ष की छूट दी जा सकती है।
2. उनका अभिकथन है कि अपीलार्थी की ओर से योग्य अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में शिथिलता प्रदान कर पदोन्नति की प्रक्रिया अपनाने के लिये अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। उनका अभिकथन है कि प्रत्यर्थीगण की ओर से डीपीसी में

अपीलार्थी को योग्य नहीं माना जा रहा था, जबकि अपीलार्थी के 5 वर्ष के अनुभव में केवल 2 दिन ही शेष रहे हैं। ऐसे में अपीलार्थी को शिथिलता प्रदान करते हुए अपीलार्थी की पदोन्नति पर विचार किया जावे।

3. अधिकरण द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 11.04.2018 को पारित किया गया, जिसमें यह आदेश दिया गया कि ''सहायक निदेशक/वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों ग्रेड–द्वितीय के पद की वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु आहूत विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में अपीलार्थी की अभ्यर्थिता पर प्रोविजनली विचार किया जावे और उसके सम्बन्ध में विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा को अधिकरण के आगामी आदेश तक सीलबन्द लिफाफे में रखा जावे।''
4. उपरोक्त आदेश के उपरान्त अपीलार्थी की पदोन्नति के लिये विचार किया गया और अपीलार्थी का निर्णय सील बन्द लिफाफे में रखा गया।
5. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया कि विभागीय पदोन्नति समिति में उन कार्मिकों को ही पात्र माना गया है, जो दिनांक 01.04.2017 को नियमानुसार निर्धारित 5 वर्ष का आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्य अनुभव पूर्ण कर चुके हैं। अपीलार्थी की ज्वाईनिंग दिनांक 07.04.2012 होने से दिनांक 01.04.2017 तक निर्धारित अनुभव पूर्ण नहीं होने के कारण अपीलार्थी को डीपीसी में विचारीत नहीं किया गया। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील मय स्थगन आदेश निरस्त फरमाया जावे।
6. हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी जिसमें उन्होंने अपने–अपने अभिवचनों को दोहराया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया।
7. स्वीकृत रूप से अपीलार्थी दिनांक 01.04.2017 तक निर्धारित अनुभव पूर्ण नहीं करता था, प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस कारण से अपीलार्थी की पदोन्नति हेतु डीपीसी में विचार नहीं किया गया। जहां तक शिथिलता का प्रश्न है, परिपत्र दिनांक 18.07.2017 (अनुलग्नक–4) के अनुसार यह समिति के लिये विवेक पर निर्भर करता है कि शिथिलता प्रदान की जाए या नहीं। अधिकरण प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित नहीं कर सकता है कि अपीलार्थी को पदोन्नति हेतु अनुभव में शिथिलता प्रदान की जाए। ऐसे में अपीलार्थी चूंकि वांछित अनुभव

नहीं रखता था। इसलिए अपीलार्थी को पदोन्नति के लिये विचारित नहीं करने में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई विधि की त्रुटि किया जाना प्रकट नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपील मय स्थगन आदेश दिनांक 11.04.2018 एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

R